न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2024/435

मिसल नम्बर– 108 / 2024

1.श्रीमति प्रेमबाई पत्नि भंवरलाल पंकज आयु 66 वर्ष जाति धोबी, निवासी मकान नम्बर 802, दुर्गा कोलोनी, दनकम टैक्स ऑफिस के पीछे, सीएडी सर्किल कोटा राज0

2.भंवरलाल पंकज पुत्र श्री हीरालाल पंकज आयु 70 वर्ष, जाति धोबी, निवासी मकान नम्बर 802 दुर्गा कोलोनी, इनकम टैक्स ऑफिस के पीछे, सीएडी सर्किल कोटा राज0

प्रार्थी।

बनाम

1.अजय कुमार पंकज पुत्र श्री भंवरलाल पंकज आयु 32 वर्ष, जाति धोबी, निवासी मकान नम्बर 802 दुर्गा कोलोनी, इनकम टैक्स ऑफिस के पीछे, सीएडी सर्किल कोटा राज0

2.लोकेश कुमार पंकज पुत्र श्री भंवरलाल पंकज आयु 28 वर्ष, जाति धोबी, निवासी मकान नम्बर 802 दुर्गा कोलोनी, इनकम टैक्स ऑफिस के पीछे, सीएडी सर्किल कोटा राज0

3.सोनू कुमार पंकज पुत्र श्री भंवरलाल पंकज आयु 23 वर्ष, जाति धोबी, निवासी मकान नम्बर 802 दुर्गा कोलोनी, इनकम टैक्स ऑफिस के पीछे, सीएडी सर्किल कोटा राज0

अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 11/7/25

उपस्थितिः–

1.श्री बद्री प्रकाश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2.अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण वृद्ध व्यक्ति है, तथा प्रतिपक्षीगण प्रार्थीगण के पुत्र है, तथा सभी विवाहित है,तथा अपने–अपने पत्नि एवं बच्चो अहित प्रार्थीगण के द्वर बनवाये गये मकान में निवास करते है। प्रार्थीगण के द्वार अपनी स्वअर्जित आय से बनाया गया मकान नम्बर 802, दुर्गा कोलोनी, इनकम टैक्स ऑॉफिस के पीछे, सीएडीसर्किल, कोटा (राज०) में स्थित है, जिसमें 21 कमरे. 2 रसोई, 6 लेट–बाथ, एक दुकान स्थित है,तथा प्रतिपक्षीगण भी इसी मकान में निवास करते है, किन्तु प्रतिपक्षीगण आये दिन प्रार्थीगण को तंग एवं परेशान करते है,

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थीगण की वृद्धावस्था में प्रार्थीगण की कोईार–सम्भाल, सेवा–सुश्रूषा आदि नहीं करते है, इस कारण प्रार्थीगण ने तंक आकर प्रतिपक्षीगण को अपनी समस्त चल–अचल सम्पति से बेदखरल घोषित कर दिया है,किन्तु प्रतिपक्षीगण प्रार्थीगण के उक्त मकान में जबरन ताकत के बल पर निवास करते आरहे है, तथा प्रतिपक्षीगण न तो प्रार्थीगण की देखभाल, सेवा– सुश्रषा आदि करते है, और न ही प्रार्थीगण की सम्पति मकान को खाली कर रहे है, प्रार्थीगण अपनी उक्त सम्पति को प्रतिपक्षीगण से खाली करवाना चाहते है, ताकि उक्त सम्पति को किशाये पर देने पर किशाये से प्राप्त राशि से अपना भरण–पोषण आदि कर सके, इसके लिये प्रार्थीगण ने कई बार प्रतिपक्षीगण से कहा किन्तु प्रतिपक्षीगण प्रार्थीगण की सम्पति मकान को खाली नहीं कर रहे है, जिसके कारण प्रार्थीगण को इस वृद्धावस्था में अपना भरण–पोषण करना काफी मुश्किल हो गया है। प्रतिपक्षीगण आये दिन प्रार्थीगण के साथ गाली–गलौच करते है, मारपीट करते है, तथा गाली–गलौच एवं धक्का मुक्की करते है, प्रार्थीगण का कोई भरण–पोषण नहीं करते है, प्रार्थीगण वृद्ध है,जो अक्सर बीमार रहते है, तथा इस वृद्धावस्था में प्रार्थीगण के पास अपने जीवन निर्वाह एवं अपने ईलाज उपचार के लिये कोई आय का साधन नहीं रहा है, तथा प्रार्थीगण की उक्त सम्पति मकान पर प्रतिपक्षीगण ने कब्जा कर लिया है, तथा प्रार्थीगण की वृद्धावस्था एवं बीमारी की हालत मे प्रार्थीगण का भरण–पोषण एवं ईलाज उपचार नहीं करवाते है। उक्त प्रकार प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थीगण को उनकी सम्पति मकान के उपयोग–उपभोग करने से वचित कर रखा है, तथा प्रतिपक्षीगण न तो प्रार्थीगण का भरण–पोषण करते है, और न ही प्रार्थीगण की कोई देखभाल करते है, जिसके कारण प्रार्थीगण को अपना जीवन निर्वाह करना दुश्वार हो गया है, इसलिये प्रार्थीगण को प्रतिपक्षीगण से अपनी उपरोक्त सम्पति मकान पर कब्जा प्राप्त करना एवं मकान खाली करवाया जाना आवश्यक हो या है, ताकि प्रार्थीगण अपने मकान में किशायेदार रखकर किराये से प्राप्त आमदनी से अपना गुजारा कर सके, तथा प्रतिपक्षीगण का दायित्व है कि प्रतिपक्षीगण प्रार्थीगण की इस वृद्धावस्था में प्रार्थीगण का भरण–पोषण करे, किन्तु प्रतिपक्षीगण प्रार्थीगण का अरण–पोषण नहीं कर रहे है, इस कारण प्रार्थीगण प्रतिपक्षीगण से अपने भरण–पोषण के लिये प्रत्येक प्रतिपक्षी से 10,000/– पये मासिक इस प्रकार कूल 30,000/–रूपये मासिक भरण–पोषण शाशि प्राप्त करने के अधिकारी है. जिसके लिये प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर रहे है। प्रतिपक्षीगण सुचारू रूप से अपना–अपना व्यवसाय करते है, जिससे उनको अच्छी आमदनी हो जाती है, इस प्रकार प्रतिपक्षीगण प्रार्थीगण को 30,000/–रूपये मासिक भरण–पोषण अदा करने में पूर्णतया सक्षम है। अतः प्रार्थना पत्र. पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिपक्षीगण से प्रार्थीगण के स्वामित्व का मकान नम्बर 802, दुर्गा कोलोनी, इनकम टैक्स ऑफिस के पीछे, सीएडी सर्किल, कोटा (शज०) को खाली करवाकर प्रार्थीगण को कब्जा दिलवाया जावे, तथा प्रतिपक्षीगण से प्रार्थीगण के भरण–पोषण के लिये प्रत्येक प्रतिपक्षी से 10,000/– रूपये मासिक इस प्रकार कुल 30,000/–रूपये मासिक भरण–पोषण शशि दिलवाये जाने बाबत आदेश प्रदान करने की अनुकम्पा करे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी वास्ते नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थीगण नं0 1 को जवाब प्रार्थना पत्र हेतु पर्याप्त अवसर दिये जा चुके

उपखण्ड अधिकारी
को

है परन्तु अप्रार्थीगण नं0 1 की जवाब पेश नहीं किया गया। अतः अप्रार्थीगण नं0 1 का जवाब प्रार्थना पत्र का अवसर बंद किया जाता है। अप्रार्थीगण 2 व 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिपक्षीगण प्रार्थी के पूत्र है, ओर उन्होने अपने पिता का पूर्ण आदर किया उनकी सेवा की है, प्रतिपक्षीगण अपनी बाल्यवस्था से ही अपने परिवार की लाण्ड्री के व्यवसाय मे सक्रिय होकर सहयोग दिया स्कूल मे पढ़ने जाने के बाद कपडे धोना प्रेस करना, प्रार्थीगण के व्यवसाय मे पूर्ण सहयोग देना अपने पिता की आज्ञा की पालना करना। तथा 2013 में लोकेश कुमार पंकज ने टेलीकाम का उद्योग मे कार्य करना शुरू किया ओर अपनी आय का एक महत्वपूण हिस्सा नियमित रूप से अपने पिता को प्रदान करता रहा प्रतिपक्षी के स्वयं के उपर 4–5 लाख रू. का बैंक का कर्जा है, जो पिछले तीन वर्षों से वित्तीय कठिनाईयोके कारण हुआ है, प्रतिपक्षी पर दो पुत्र तथा उनकी शिक्षा दीक्षा पालन पोषण की जिम्मेदारी है। प्रार्थी का तीन मंजिला मकान है, जिसमे कुल 21 कमरे है, इनमे से 18 कमरे किराये पर दिये गये है,प्रत्येक का मासिंक किराया 2000 रू0 है, ओर 36 हजार रू. प्रतिमाह किराया आता है,मकान की छत पर 10 किलोवाट के सोलर पेनल लगे है, जिससे बिजली की लागत नगण्य है,तथा किरायेदारो से बिजली के उपयेग के लिए 8 रू0 प्रतियुनिट के हिसाब से शुल्क लिया जाता है, जो प्रार्थीगण प्राप्त करते है, जो प्रार्थीगण की अतिरिक्त आय है,उक्त मकान की छत पर एयरटेल कम्युनिकेशन कंपनी का टांवर लगा है, जिससे 5500 रू0 प्रतिमाह अतिरिक्त आय होती है, तथा प्रार्थीगण के गांव मे कृषि भूमि भी है, जिससे भी आय प्राप्त होती है, उक्त समस्त आय का उपयोग प्रार्थीगण ही करते है, प्रार्थीगण साधन सम्पन्न लोग है, धनाढय है, ओर मात्र प्रतिपक्षीगण को परेशान करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे पेश किया है। उक्त वर्णित मकान के संबंध मे जो अनुतोष चाह है,उक्त निर्माण से संबंधित व्यय भी प्रतिपक्षीगण द्वारा वहन किये गये है. ओर उनकी आय से उक्त मकान बनाया गया है। तथा प्रतिपक्षीगण अपने माता पिता के नाम उक्त मकान करवा रखा है, मात्र .दस्तावेज प्रार्थीगण के नाम से होने से प्रतिपक्षीगण को प्रकरण के माध्यम से खाली करवाकर बेदखल नही करवाया जा सकता है। प्रार्थीगण के द्वारा समय समय पर अपने माता पिता के भरण पोषण व उनके परिवार चलाने मे नियमित रूप से धनराशि देकर योगदान दिया जाता रहा है, ओर वितीय रूप से उनकी सहायता की गयी है,लेकिन वर्तमान में प्रतिपक्षीगण का परिवार बडा हो गया है,व्यक्तिगत खर्चे भी बढ़ गये है,इसके उपरांत भी समय समय पर प्रतिपक्षीगण अपने माता पिता की वित्तीय रूप से सहायता करते रहे है। उनका आदर करते है,सेवा सुश्रषा करते है, मकान व कृषि व अन्य साधनो से जो आय प्राप्त होती है,वह प्रार्थीगण के पास ही जाती है। प्रतिपक्षीगण के माता पिता के पास ही प्रतिपक्षीगण की पत्नीयो का समस्त स्त्रीधन प्रारंभ से रहा है जिस पर उन्होने ऋण ले रखा है,और उक्त स्त्रीधन का भी उपयोग उपभोग प्रतिपक्षीगण नही कर पा रहे है। प्रतिपक्षीगण के माता पिता जीवन इस पडाव पर आकर अन्य रिश्तेदारो के बहकावे मे आकर मकान खाली कराने के उदेश्य से उक्त अधिनियम के प्रावधानो का दुरूपयोग कर यह प्रार्थना पत्र मात्र प्रतिपक्षीगण को परेशान करने की गरज से पेश किया गया है,वास्तविकता मे प्रार्थीगण को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता आदि की आवश्यकता नही है प्रार्थना पत्र दुर्भाविक होने से असत्य निराधार

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तथ्यो पर आधारित होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीगण के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीगण अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित मकान नम्बर 802, दुर्गा कोलोनी, दनकम टैक्स ऑफिस के पीछे, सीएडी सर्किल कोटा राज0 से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण से भरण पोषण हेतु राशि की भी मांग की है। अप्रार्थीगण की ओर से कथन किया है कि प्रार्थी का तीन मंजिला मकान है, जिसमे कुल 21 कमरे है, इनमे से 18 कमरे किराये पर दिये गये है, प्रत्येक का मासिंक किराया 2000 रू0 है, ओर 36 हजार रू. प्रतिमाह किराया आता है, उक्त मकान की छत पर एयरटेल कम्युनिकेशन कंपनी का टांवर लगा है, जिससे 5500 रू0 प्रतिमाह अतिरिक्त आय होती है, तथा प्रार्थीगण के गांव मे कृषि भूमि भी है, जिससे भी आय प्राप्त होती है,उक्त समस्त आय का उपयोग प्रार्थीगण ही करते है। प्रार्थीगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन स्वीकार किया गया है कि उक्त मकान में 21 कमरे, 2 रसोई, 6 लेट बाथ, एक दुकान है। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के कथनो का खण्डन नही किया गया है कि प्रार्थीगण उक्त कमरो का 36,000/– रूप्ये मासिक किराया प्राप्त करते है। मकान पर लगे टावर से भी आय होती है तथा गॉव की कृषि भूमि से भी आय होती है। जिस कारण से अप्रार्थीगण द्वारा किये गये कथन उचित प्रतीत होते है कि प्रार्थीगण के पास आय के पर्याप्त साधन उपलब्ध है। जिस कारण से प्रार्थीगण द्वारा भरण पोषण हेतु मासिक राशि दिलवाया जाना भी उचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। परन्तु न्यायहित में अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे भविष्य में प्रार्थीगण के साथ मारपीट, गाली गलौच, लड़ाई झगड़ा एवं अभ्रद व्यवहार नही करे।

उक्त निर्णय आज दिनांक 11/7/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा